


| तारीख<br>हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज   | नम्बर व तारीख<br>अडकम जो इस हुक्म<br>की तामील में जारी हुये |
|----------------|---|---|
| 21.05.18       | <p>अपीलान्ट अनुपस्थित। यह प्रथम अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार बसेडी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने पर प्रस्तुत की है। जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश क्रमांक प.1/राज0सम्पर्क/आरटीआई/2018/3377 दिनांक 15.05.2018 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1), 5(2) व 19(1) के अन्तर्गत राजस्व विभाग से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार बसेडी के प्रथम अपील अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बसेडी को नियुक्त किया है। तहसीलदार बसेडी के विरुद्ध उपखण्डाधिकारी बसेडी प्रथम अपील सुनने हेतु सक्षम अपील अधिकारी है। अपील अपीलान्ट सक्षम अपील अधिकारी को स्थानान्तरित किया जाना उचित समझते हैं। अतः अपील अपीलान्ट उपखण्डाधिकारी बसेडी को स्थानान्तरित की जाती है। मूल पत्रावली उपखण्डाधिकारी बसेडी को भिजवाई जावे। अपीलान्ट को सूचित किया जावे कि वह अपनी अपील के निस्तारण हेतु दिनांक 29.05.2018 को उपखण्डाधिकारी बसेडी के न्यायालय में उपस्थित हो। पत्रावली की फोटो प्रति रिकॉर्ड में रखी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जावे।</p> <p style="text-align: center;"> <br/> जिला कलक्टर<br/> धौलपुर </p> |   |